न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2025/1837

1. कृष्ण कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री तेताल सिंह, जाति मीना, आयु 58 वर्ष, निवासी ग्राम बरवाड़ा, थाना सामोद, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जिला जयुपर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री बृजराज गौतम अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

दिनांकः 02.02.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर उत्तर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2025 से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण जयपुर ने अपने पत्रांक 1857—59 दिनांक 10.08.2022 से अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रकरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया तथा पत्र के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सामोद जिला जयपुर ग्रामीण की रिपोर्ट भी भिजवाई एवं कथन किया कि कृष्ण कुमार उर्फ राजू पुत्र श्री तेताल सिंह जाति मीना ग्राम बरवाडा थाना सामोद जिला जयपुर में निवास करता है जो बदमाश प्रवृती का है। जो अवैध रूप से पैसे दांव पर लगाकर जुवा खेलने का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जुऑ खोलने व उतावलेपन से गाड़ी चलाकर दुर्घटना कारित करने के प्ररकण दर्ज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण के नोटिस अपीलार्थी को जारी होने पर अपीलार्थी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी पर गलत आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार कि गुण्डागर्दी नही की है, ना ही अरोपी आवारा व बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है, आरोपी पर संगीन अपराध का कोई आरोप नही है तथा आर.पी.जी.ओ के अपराध है जिनमें कोई सजा नही हुई है बल्कि न्यायालय द्वारा मामूली अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। इसलिये आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर परिवाद खारिज किये जाने का निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को स्वीकार कर अपीलार्थी को जिला बदर किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। उन्होने आगे कथन किया है कि उकत आदेश को अपीलार्थी ने एस.बी.क्रिमीनल रिट पीटीशन नम्बर 1401/2025 कृष्ण कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनोती दी तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2025 के द्वारा आदेश की दिनांक से 15 दिवस मे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया। जिसकी अनुपालना में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलार्थी का साक्ष्य लिया, ना ही परिवादी का साक्ष्य लिया, ना ही किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य रिकार्ड की, आदंश फौरी तौर पर बिना किसी जांच के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि आदेश की तारिफ में नही आता है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

P.T.O.

उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस तथ्य पर गौर किये बिना की अपीलार्थी के परिवार में अपीलार्थी के अलावा कमाने वाला कोई नही है। अपीलार्थी को जिला बदर करने से अपीलार्थी का परिवार संकट में आ जायेगा। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2025 को निरस्त फरमाया जाने की महती कृपा करें तथा थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट चौमू के मुकदमा नम्बर 8/10 में दिनांक 05.03.2010 को 100/– रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा मुकदमा नम्बर 91/16 में दिनांक 30.06.2016 को 100/– रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया एवं मुकदमा नम्बर 101/17 में दिनांक 15.05.2017 को 100/–रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है एवं मुकदमा नम्बर 129/16 तत्समय न्यायालय में विचाराधीन होने पर अपीलार्थी के चालचलन/कार्यशैली में सुधार हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2025 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 2 में प्रावधित है कि "The person against whom an order under this section is proposed to be made shall have the right to consult and be defended by a counsel of his choice and shall be given a reasonable opportunity of examining himself, if he so desires, and also of examining any other witnesses or to produce any relevant document that he may wish to produce in support of his explanation, unless for reasons to be recorded in writing, the District Magistrate is of opinion that the request is made for the purpose of vexation or delay."

जबकि हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना सामोद द्वारा तैयार इस्तगासा पुलिस अधीक्षक जयपुर के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर आरोपों का खण्डन किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ना तो इस्तगासा के गवाहान को तलब किया गया और ना ही इस्तगासा के गवाहान साक्ष्य ली गई एवं ना ही अन्य किसी स्वतंत्र गवाहान की कोई साक्ष्य लिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2025 पारित किया गया है, जो न्यायिक दृष्टि से विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर उत्तर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में तदानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।